



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 487870/सी-7/O.A.No-451/22/23

Date: 27/01/23

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub.: Regarding submission of the Joint Inspection report in the matter of O.A. No. 451/2022 Anand Kumar Dhyani Vs. Public Works Department dated 21-10-2022.

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal during hearing on 21-10-2022 in the matter of O.A. No. 451/2022 Anand Kumar Dhyani Vs. Public Works Department, the Joint Inspection report is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Encl: As Above

Yours Sincerely,

(Abhishek Tripathi)
Incharge, Circle-7

Joint Inspection Report

In the matter of

Anand Kumar Dhyani

V/S

Public Works Department

(O.A. No. 451/2022)

Hon'ble National Green Tribunal

(Order dated 21th Oct, 2022)

Inspection done by

(Joint Committee on dated 24.01.2023)

Contents

1- Background.	-----	03
2-Constitution of Joint Committee.	-----	04
3- Obesravation.	-----	04
4- Conclusion.	-----	05
5- Annexures.	-----	06 -14

Joint inspection report in compliance of direction issued by Hon'ble NGT vide order dated 01.08.2022 & 21.10.2022 in the matter of Anand Kumar Dhyani Vs Public works Department in O.A. No. 451/2022.

1- BackGround -

Hon'ble NGT has passed an order on 01.08.2022 in O.A. No. 451/2022 in the matter of Anand Kumar Dhyani Vs Public works Department. Main part of order are reproduced here-

"1. The grievance in the present application filed by Mr. A.K. Dhyani is that road was constructed by PWD Najibabad from Shankarpur Farm to Dhakiya main road adjacent to his fields. The contractor uprooted 11 more than 10 years old sagwan/Sagon trees and dugout soil from his fields for filling land of the road leaving big pit there. No trees have been planted in lieu of the uprooted sagwan/sagon trees and no compensation has been paid to him for lifting soil from his fields.

-----4. In the application, the applicant, who is resident of Dehradun, Uttarakhand had not specifically mentioned that his field, from which the trees had been cut by PWD, Najibabad, lies in the State of Uttar Pradesh. Since the road from Shankarpur Farm to Najibabad, in construction of which some trees are alleged to have been uprooted from the field of the applicant by PWD, Najibabad, lies in the State of Uttar Pradesh order dated 05.07.2022 is modified. Accordingly, now the Joint Committee shall comprise of Principal Chief Conservator of Forests, Government of Uttar Pradesh, State PCB and District Magistrate, Bijnor. The Joint Committee may meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant and take requisite action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.-----."

Further, Hon'ble NGT has passed an other order on 21.10.2022 and directed following :-

"2. Vide order dated 05.07.2022 which was subsequently modified vide order dated 01.08.2022, this Tribunal constituted a Joint Committee and directed the same to furnish factual and action taken report within two months. However, the same has not been received so far.

3. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. It is clarified that in case the report is not received within the stipulated period, exemplary costs may be imposed on the Members of the Joint Committee for non-compliance of this order.

5. List the matter for further consideration on 02.02.2023."

M. Husain

[Signature]

[Signature]

2- Constitution of Joint Committee:

- 1- In compliance of Hon'ble NGT order UPPCB, Lucknow vide letter no. H 84613/C-7/O.A. No. 451/2022 dated 24.11.2022 sent to Principal Chief Forest Conservator, Lucknow to nominate the member of Forest Department for joint inspection. Copy is annexed as **Annexure- 1**.
- 2- District Magistrate, Bijnor vide its letter no.995/N-45/Genral-2023 dated 24.01.2023 constituted a joint committee comprising of SDM Nagina, DFO, Bijnor Forest Division Najibabad and RO, UPPCB, Bijnor. Copy is annexed as **Annexure - 2**.
- 3- Principle Chief Conservator, Ū.P. Lucknow vide its letter no. को०के० 1282/6ई-2(एन०जी०टी०) लखनऊ Dated 23.01.2023, nominated to Divisional Forest Officer, Najibabad, Bijnor to take necessary action and file report. Copy is annexed as **Annexure- 3**.

3- Observation -

In compliance to the direction, joint inspection was carried out by the joint committee on 24.01.2023. Detailed report is follows-

- 1- During Inspection it was found that earlier kacchi road located at village Murtzabad, Teshil Nagina, District Bijnor has been constructed into paved road by Public Works Department and during digging of soil by mechanical equipment 11 nos. trees of teak (Sagwan) lying inside the road at gata no. 1/11mi village Murtzabad were uprooted by the contractor, which were found on the spot. Copy of the report of Revenue Inspector, Nagina (Bijnor) is annexed as **Annexure- 4**.
- 2- During Inspection, it was informed that Shri Anand Kumar Dhyani, Shivlok -II, Chandrabani Road, Shimla Bypass, Dehradun had made a complaint to telephonically to the Range officer, Kaudia range, Bijnor Forest Division, Najibabad that PWD, Najibabad is constructing a road from Shankarpur Farm to Kotdwar-Nagina road and Anup kumar, contractor's, Supervisor has uprooted 11 teak/ Sagwan trees from his private agriculture land.
- 3- In reference to complaint made by Shri A.K. Dhyani, earlier investigation was done by Shri Pradeep Kumar, Forester, Kaudia Range and it was found that the road from Shankarpur farm to main road of village Dhakiya is being constructed by PWD, Najibabad and 11 teak (Sagwan) trees has been uprooted by Shri Anup Kumar, contractor's, Supervisor and two other unknown person. Further, no permission was taken from Forest Department for felling of the trees.
- 4- On above the matter, Range Forest Crime Case no. 13/Kaudia/2021-22 dated 25.10.2021 was registered by concerned department against the Anup kumar and two another unknown person under section 4/10 of Utter Pradesh Tree Protection Act, 1976. Copy is annexed as **Annexure- 5**.


M. Hussain

- 5- Further, During investigation made by Forester Kaudia, the statement of accused Shri Anup Kumar S/o Shri Bhup Singh R/o of Khabariaghat, Post & Thana Bhagatpur, District- Moradabad was recorded. Further, he confessed his guilt and seek departmental decision and in continuation of that a fine of rupees 55,000/_ (Fifty Five Thousands) was imposed on the accused and the case was compounded. Copy is annexed as **Annexure- 6**.

4- Conclusion-

During inspection it was observed that the contractor had uprooted 11 teak trees without obtaining necessary permission from the Forest Department and appropriate action has been taken by the concerned department.

Above report is being submitted for kind perusal and necessary action.

S.N.	Name	Desiganation	Signature
1	Dr. Manoj Kumar Shukla	Divisional Forest Officer, Bijnor Forest Division, Najibabad,	
2	Shailendra Kumar	SDM, Nagina, Bijnor	
3	Mahir Hussain	UPPCB, Bijnor	

1184613

1 सी-2/0.A. No. 451/2022

दिनांक:-

24/11-22

सेवा में,

Annexure-1

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
प्रधान प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय,
17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0-451/2022 Anand Kumar Dhyani Vs. Public Works Department में पारित आदेश दिनांक 01.08.2022 एवं 21.10.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0-451/2022 Anand Kumar Dhyani Vs. Public Works Department में पारित आदेश दिनांक 01.08.2022 के सुसंगत अंश का अवलोकन करना चाहें :-

“.....4. In the application, the applicant, who is resident of Dehradun, Uttarakhand had not specifically mentioned that his field, from which the trees had been cut by PWD, Najibabad, lies in the State of Uttar Pradesh. Since the road from Shankarpur Farm to Najibabad, in construction of which some trees are alleged to have been uprooted from the field of the applicant by PWD, Najibabad, lies in the State of Uttar Pradesh order dated 05.07.2022 is modified. Accordingly, now the Joint Committee shall comprise of Principal Chief Conservator of Forests, Government of Uttar Pradesh, State PCB and District Magistrate, Bijnor. The Joint Committee may meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant and take requisite action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.”

माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 21.10.2022 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :-

“.....2. Vide order dated 05.07.2022 which was subsequently modified vide order dated 01.08.2022, this Tribunal constituted a Joint Committee and directed the same to furnish factual and action taken report within two months. However, the same has not been received so far.

3. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. It is clarified that in case the report is not received within the stipulated period, exemplary costs may be imposed on the Members of the Joint Committee for non-compliance of this order.

5. List the matter for further consideration on 02.02.2023.”

माननीय अधिकरण द्वारा गठित संयुक्त समिति हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री विकास मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर (मो0 नं0 7839891817) को नामित किया जाता है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के संबंध में संयुक्त समिति हेतु वन विभाग के सदस्य को नामित करते हुए प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहें।

भवदीय,

A

(अजय कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव

.....2/-

-2-

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ कि समिति के सदस्य हेतु अधिकारी नामित करना चाहें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशानुसार जिलाधिकारी, बिजनौर से संपर्क स्थापित करते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।



सदस्य सचिव



-:कार्यालय-आदेश:-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-451/2022 Anand Kumar Dhyani Vs. Public Works Department में पारित आदेश दिनांक-01.08.2022 एवं 21.10.2022 (छायाप्रति संलग्न), का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके मुख्य अंश निम्नवत् है :-

माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक-01.08.2022 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :-

"1. The grievance in the present application filed by Mr. A.K. Dhyani is that road was constructed by PWD Najibabad from Shankarpur Farm to Dhakiya main road adjacent to his fields. The contractor uprooted 11 more than 10 years old sagwan/Sagon trees and dugout soil from his fields for filling land of the road leaving big pit there. No trees have been planted in lieu of the uprooted sagwan/sagon trees and no compensation has been paid to him for lifting soil from his fields.

.....4. In the application, the applicant, who is resident of Dehradun, Uttarakhand had not specifically mentioned that his field, from which the trees had been cut by PWD, Najibabad, lies in the State of Uttar Pradesh. Since the road from Shankarpur Farm to Najibabad, in construction of which some trees are alleged to have been uprooted from the field of the applicant by PWD, Najibabad, lies in the State of Uttar Pradesh order dated 05.07.2022 is modified. Accordingly, now the Joint Committee shall comprise of Principal Chief Conservator of Forests, Government of Uttar Pradesh, State PCB and District Magistrate, Bijnor. The Joint Committee may meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant and take requisite action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance....."

माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक-21.10.2022 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :-

".....2. Vide order dated 05.07.2022 which was subsequently modified vide order dated 01.08.2022, this Tribunal constituted a Joint Committee and directed the same to furnish factual and action taken report within two months. However, the same has not been received so far.

3. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. It is clarified that in case the report is not received within the stipulated period, exemplary costs may be imposed on the Members of the Joint Committee for non-compliance of this order.

5. List the matter for further consideration on 02.02.2023.

उक्त आदेश के अनुपालन में प्रकरण की संयुक्त जांच हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेशों में वादित प्रकरण का निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण/कार्यवाही सम्बन्धी आख्या अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे कि अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को ससमय प्रेषित की जा सके।

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद, जिला-बिजनौर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी/नामित प्रतिनिधि, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

24.1.23
(उमेश मिश्र)
जिलाधिकारी
बिजनौर

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर

पत्रांक- 595/एन-45/जनरल-2023

दिनांक- 24-1-2023

प्रतिलिपि-

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद, जिला-बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी/नामित प्रतिनिधि, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक-को0के0 12012/6ई-2(एन0जी0टी0) दिनांक, लखनऊ, जनवरी, 23 2023.

सेवा में

वन संरक्षक (नोडल अधिकारी),
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।



विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-451/2022 Anand Kumar Dhyani Vs. Public Works Department में पारित आदेश दिनांक 01.08.2022 एवं 21.10.2022 के अनुपालन के संबंध में।
संदर्भ-1-श्री अजय कुमार शर्मा, सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संदर्भ संख्या-1184613/C-7/OA No. 451/2022 दिनांक 24.11.2022

2-इस कार्यालय के पत्रांक-को0के0 938/6ई-2(एन0जी0टी0) दिनांक 02.12.2022.

महोदय,

विषयांकित प्रकरण से संबंधित उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयक वाद में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2022 एवं 21.10.2022 के क्रम में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही एवं प्रभावी पैरवी हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, बिजनौर (नजीवाबाद) को नामित किया जाता है।

अवगत कराना है कि मा0 अधिकरण द्वारा गठित संयुक्त समिति हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपरोक्त पत्र दिनांक 24.11.2022 की ओर से श्री विकास मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर (मो0 नं0 7839891817) नामित है। उक्त विषयक प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ की ओर से प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, बिजनौर (नजीवाबाद) (मो0 नं0 7839891817) को संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में नामित है। अतः आप उक्तानुसार अपने पर्यवेक्षण में विषयक प्रकरण में आप समिति के अन्य सदस्यों से समन्वय कर ससमय समस्त कार्यवाही सम्पादित करायें।

यह पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।
संलग्नक-यथोक्त। (ई-मेल पर)

भवदीय,

(पी0के0 गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक,

कोर्टकेस, उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या- 12012 / (1)तददिनांकित।

प्रतिलिपि-

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 24.11.2022 के क्रम में इस आशय से प्रेषित विषयगत वाद में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष की ओर से प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग बिजनौर (नजीवाबाद) मो0 नं0-7839891817 को नामित किया गया है, के क्रम में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।
2. मुख्य वन संरक्षक, रुहेलखण्ड जोन बरेली को उक्तानुसारअ समुचित अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग बिजनौर को उक्त पत्र दिनांक 24.11.2022 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत वाद में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ की ओर से नामित किया गया है। अतः आप अपने पर्यवेक्षक अधिकारी/नोडल अधिकारी के निर्देशन में संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी व अन्य समिति के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर प्रकरण में ससमय रिपोर्ट आदि समस्त अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही ससमय करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त। (ई-मेल पर)

(पी0के0 गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक,

कोर्टकेस, उ0प्र0 लखनऊ।

Annexure-4

महोदय,

आपके आदेश दिनांक 24.01.2023 के अनुपालन में स्थित ग्राम मुर्तजाबाद परगना बढापुर तहसील नगीना के गाटा सं० 1/11मि० रकबई 1.620हे० के सम्बंध में नायब तहसीलदार बढापुर राजस्व निरीक्षक तेलीपाडा वन विभाग तथा प्रदूषण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम मुर्तजाबाद में पूर्व से चली आ रही कच्ची सड़क पर पी.डब्लू.डी. द्वारा पक्की सड़क का निर्माण किया गया। सड़क निर्माण करते समय सड़क निर्माण ठेकेदार द्वारा मशीन से मिट्टी उठाते समय ग्राम मुर्तजाबाद के गाटा सं० 1/11मि० में खड़े पेड़ों में से 11 पेड़ सागोन के जो सड़क के किनारे खड़े थे गिर गये हैं। गिरे हुए पेड़ों की गोलाई वन विभाग द्वारा संलग्न जॉच के अनुसार 60 से 102 सेन्टीमीटर दर्शायी गयी है। गिरे हुए पेड़ गौका स्थल पर पड़े हुए हैं। उक्त प्रकरण में वन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई थी जिसमें अपराधी से मुआवजे बतौर 55000.00रु०(रु० पचपन हजार मात्र) वसूल कर E-3N065/364 दिनांक 16.03.2022 के अनुसार जमा करा दिये गये हैं, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अभिलेखीय जॉच के अनुसार ग्राम मुर्तजाबाद में कोई सड़क अथवा रास्ते का गाटा दर्ज कागजात नहीं है। उक्त सड़क कृषको की निजी भूमि से बनी है। ग्राम मुर्तजाबाद के खाता खतौनी सं० 74 गाटा सं० 1/11मि० रकबई 1.620हे० वर्तमान खतौनी वर्ष 1425-1430फसली में विरेन्द्र प्रसाद गौड़ पुत्र दयानन्द गौड़, सरोज ध्यानी पत्नी आनन्द कुमार ध्यानी, सुशीला देवरानी पत्नी जगदीश प्रसाद देवरानी, भगवती प्रसाद पुत्र चिन्तामणी व विद्यावती देवी पत्नी चिन्तामणी सहखातेदार के रूप में दर्ज कागजात है।

यह भी अवगत कराना है कि मा० सांसद श्री गिरीशचन्द्र व शिकायतकर्ता किशनचन्द्र पुत्र खवानी निवासी मौ० कस्साबान बिजनौर के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि भूमि अभिलेख में हेरा-फेरी की गयी है के सम्बंध में शासन द्वारा राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ग्राम मुर्तजाबाद के अभिलेखों का परीक्षण कर आख्या राज्य स्तरीय कमेटी को दी गयी। राज्य स्तरीय कमेटी के अनुमोदन के पश्चात उपजिलाधिकारी नगीना के न्यायालय में वाद सं० T202213160402958 धारा 38(1) उ०प्र० राजस्व संहिता, उ०प्र० सरकार बनाम राजीव कुमार आदि में दिनांक 27.08.2022 को खातेदारों के नाम निरस्त कर भूमि 1360फसली के अनुसार पूर्व की भाति मूल श्रेणी जंगल के रूप में दर्ज कर दिया गया है, जो अभिलेखों में अंकित है। उक्त आदेश के विरुद्ध मा० न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद, मण्डल मुरादाबाद सं० 390/पेशकार में दिनांक 06.10.2022 के क्रम में दिनांक 27.08.2022 का क्रियान्वयन दिनांक 05.12.2022 तक स्थगित किया गया है। वर्तमान में भी वाद उपरोक्त न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त भूमि के सम्बंध में मा० न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण मा० न्यायालय की मर्यादा में कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।


24/10/23
मुनेश चन्द लेखपा
तहसील नगीना

24/10/23
अभिलेखीय सिंह
राजस्व निरीक्षक
तहसील-नगीना (बिजनौर)

Shot by Munesch chand R8 59
2023/01/25 14:48
realme

Annexure-5

एच-2केस 3031/प्रमाण 13/क्रोडिया/2021-2022
 केस इस निर्देश के माध्यम से प्रमाणित है। मा.
 में स्वयं या के अधिकारी की जांच करवाये जाह व
 अंतिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


 प्रभागीय वनाधिकारी
 किजनीर वन प्रभाग, नजीबाबाद

प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी ~~की~~ नजीबाबाद
 की संरक्षित पर केस रु. 55,000/-
 में प्रशमित किया जाता है।


 वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
 मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

उक्त रज केस नं 0-13/क्रोडिया/2021-2022 वन
 संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद के पत्रांक 152/
 22-2 दि 20-07-2022 के अंतर्गत रु 55000/-
 में प्रशमित किया जाता है।


 प्रभागीय वनाधिकारी
 किजनीर वन प्रभाग, नजीबाबाद

अन्तिम ऑनच रिपोर्ट

आपीगुज्जर का नाम - अनूप कुमार पुत्र भूप सिंह
नि० गा० खर्बाइया घाट
जिला - मुरादाबाद

अपराध का प्रकार - सागौन के पेड़ों को जड़ से उखाड़ना,
धान प्रतिकर - 55,000/-

महोदय,

उक्त 112 केस की ऑनच भेरे द्वारा की गई।
ऑनच को ऑगे बढ़ते हुए अपराधी अनूप कुमार पुत्र
भूप सिंह नि० गा० खर्बाइया घाट, जिला - मुरादाबाद
को बयान देने के लिए रोज कार्यलय कौड़िया बुलाया गया।
अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार किया, बयान भेरे
द्वारा लिये गये। अपराधी ने वन विभाग से अपना फेसला
चाहा तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती दोबारा न
करने का वचन लिया। अपराधी ने बतौर मुआवजा 55000/-
रु० देने को तैयार है।

अतः केस को प्रसमित करने की संस्तुति की जाती

सुपरवाइजर उप प्रभागीय वनाधिकारी

बिजुनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

सेवा में

उप वन संरक्षक

बिजुनौर वन प्रभाग

नजीबाबाद

Available

सेवा में 55000 रु० कौड़िया रोज के रिपोर्ट के (अखिलेश चन्देला)

आधार पर उक्त केस को प्रसमित करने की संस्तुति भी जाती है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी

बिजुनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

महोदय,

उक्त केस सं० 13/कौ०/2021-22 की ऑनच श्री अखिलेश
चन्देला वरुद द्वारा की गई अपराधी के बयान लिये गये,
अपराधी से बतौर मुआवजे के मु० 55000/- (पचपन हजार
रु० मात्र) मुसलकर E-3 No 65/364, दि० 16/03/2022
के अनुसार जमा कर दिये गये हैं।

अतः केस को मु० 55,000/- (पचपन हजार रु० मात्र)
में प्रसमित करने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

क्षेत्रीय वनाधिकारी
कौड़िया रोज, नजीबाबाद

वयान

मैं अनूप कुमार पुत्र मूप सिंह नि० जवाड़ियावाट पी० भातपुर थाना
 भातपुर जिला मुरादाबाद यह वयान करता हूँ कि मेरा नाम व पता
 सही है दिनांक 25.10.2021 को शंकरपुर से जमिना में राई तक
 सड़क निर्माण करते हुए हमारे द्वारा जमीनी से मिली खुदान
 किमा जा रहा था जिस दौरान कुछ हथौं भी जहाँ से भी
 मिली निम्न ली गई जिस कारण कुछ मॉडि पर गिर गये
 मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ तथा यह वयान करता
 हूँ कि यह अपराध मेरे कारण ही किया गया है। मैं अपना अपराध
 स्वीकार कर जन विभाग से अपना जमाना चाहता हूँ तथा
 मजिस्ट्रेट में स्वीकार करने का क्वच देता हूँ। यही मेरा वयान है
 जो मेरे द्वारा सुकर व पढ़ कर हस्ताक्षर किया गया।

Anoop
 अनूप कुमार पुत्र मूप सिंह
 नि० जवाड़ियावाट पी०
 मुरादाबाद